

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1453
बुधवार, 12 मार्च, 2025 (21 फाल्गुन, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारिता मंत्रालय के गठन का प्रभाव

1453 श्री परिमल नथवानी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में सहकारी क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और समेकन पर सहकारिता मंत्रालय के गठन के प्रभाव का आकलन/अध्ययन किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो उक्त आकलन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और वे विशिष्ट क्षेत्र कौन-से हैं जहाँ इस समर्पित मंत्रालय के गठन से सहकारी क्षेत्र को लाभ हुआ है;
- (ग) मंत्रालय द्वारा नीतियों को सुगम बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) मंत्रालय द्वारा सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए क्या पहलें की गई हैं; और
- (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सहकारी समितियों को क्षमता निर्माण, वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए पर्याप्त समर्थन मिले?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ङ) 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से देश भर में सहकारी क्षेत्र को ऊर्जान्वित और सशक्त करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं।

पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च किया है जो बेहतर शासन और सुविज्ञ निर्णयन में सुविधा के लिए सहकारी समितियों पर व्यापक और सुलभ जानकारी प्रदान करता है। यह डेटाबेस प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है जिससे नीति निर्माताओं को विभिन्न पहलों की प्रभावशीलता का पता लगाने में मदद मिलती है।

सहकारिता मंत्रालय ने अपनी पहलों का जमीनी स्तर पर प्रभावों के मूल्यांकन के लिए एक बहुस्तरीय पद्धति अपनायी है जिससे जमीनी स्तर पर प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। विशेष रूप से PACS कंप्यूटरीकरण जैसी परियोजनाओं में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ नियमित मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी और अन्य राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय एजेंसियों सहित प्रमुख हितधारकों को विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, एक संरचित निगरानी संरचना स्थापित किया गया है जिसमें राष्ट्र-स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति (NLMIC), राज्य और जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समितियां (SLIMC और DLIMC), राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) (मुख्य सचिव के अधीन) और जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) (जिला कलेक्टर के अधीन) शामिल हैं। ये निकाय पैक्स कंप्यूटरीकरण सहित सहकारी क्षेत्र की सभी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और समन्वय सुनिश्चित करते हैं।

इसके अलावा नीति आयोग, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (CSS) का प्रभाव मूल्यांकन कर रहा है जिसमें सहकारिता मंत्रालय के "पैक्स का कंप्यूटरीकरण" और "आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण" की योजनाएं शामिल हैं।

सहकारिता मंत्रालय ने नीतियों को सुव्यवस्थित करने, सभी क्षेत्रकों की सहकारी समितियों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का समाधान करने, उनके कार्यकरण में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देने और ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलों की हैं। ये पहलें **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न हैं। इन व्यापक पहलों के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि सहकारी समितियां आर्थिक रूप से व्यवहार्य, मजबूत और भारत के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास का अभिन्न अंग बना रहे।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों की प्रगति

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद सेवेश में “सहकार से समृद्धि” की परिकल्पना को साकार करने और प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों में सहकारी आंदोलन को सशक्त और मजबूत करने के लिए अनेक पहलों की हैं। इन पहलों की सूची और इनकी अब तक हुई प्रगति निम्नानुसार है:

क. प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

- पैक्स हेतु आदर्श (मॉडल) उपनियम जो उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा पारदर्शी संस्थाएं बनाते हैं:** सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs), आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स के लिए आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को परिचालित किया है, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने तथा अपने प्रचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हेतु सक्षम बनाते हैं। महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के भी उपबंध किए गए हैं। अब तक 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आदर्श उपविधियां अपनाई गई हैं या उनकी मौजूदा उपविधियां आदर्श उपविधियों के अनुरूप हैं।
- कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण:** पैक्स को सुदृढ़ करने हेतु 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को कॉमन ERP आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड से लिंक करना शामिल है। इस परियोजना के अधीन 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 67,930 पैक्स अनुमोदित किए गए हैं। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हार्डवेयर की खरीद कर ली गई है तथा कुल 50,455 पैक्स को ERP पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है।
- सभी पंचायतों को कवर करते हुए नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/माल्टिकी सहकारी समितियों की स्थापना:** भारत सरकार ने आगामी पांच वर्षों में देश के सभी पंचायतों और गांवों को आच्छादित करने के लक्ष्य से नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/माल्टिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को अनुमोदित किया है। यह पहल नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों द्वारा समर्थित है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए दिनांक 19.09.2024 को ‘मागदर्शिका’ विमोचित किया गया है, जिसमें सभी हित धारकों के लिए लक्ष्य और समय-सीमा उल्लिखित है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, दिनांक 15.02.2023 को इस योजना के अनुमोदन के पश्चात् अब तक (27.1.2025 तक) देश में कुल 12,957 नए पैक्स, डेयरी और माल्टिकी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा चुका है।
- सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM),

प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदमों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी। पायलट परियोजना के तहत 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

5. **ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में पैक्सः** पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। अब तक 42,080 पैक्स द्वारा ग्रामीण नागरिकों को CSC सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है।
6. **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना:** सरकार ने एनसीडीसी के समर्थन से, उन ब्लॉकों में जहां एफपीओ अभी तक नहीं बनाए गए हैं या वे ब्लॉक जो किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, पैक्स द्वारा 1100 अतिरिक्त एफपीओ बनाने की अनुमति दी है। 1100 ब्लॉकों के इस आवंटन के सापेक्ष, 27.01.2025 तक 958 एफपीओ पंजीकृत/ऑन-बोर्ड किए गए हैं। इसके अलावा, सहकारी क्षेत्र में एनसीडीसी द्वारा पहले ही 730 एफपीओ का गठन किया जा चुका है। अब तक, एनसीडीसी द्वारा सहकारी क्षेत्र में कुल 1,688 एफपीओ पंजीकृत / ऑन-बोर्ड किए गए हैं। यह किसानों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान करने और उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी प्रक्रिया प्राप्त करने में सहायता होगी।
7. **खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए पैक्स को प्राथमिकता:** सरकार ने पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के आवंटन के लिए कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC-2) में शामिल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 286 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।
8. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने हेतु अनुमति:** थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने के लिए वन-टाइम विकल्प दिया गया है। OMCs द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, 5 राज्यों के 116 थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप लाइसेंस धारी पैक्स ने खुदरा आउटलेट में परिवर्तित होने की सहमति दे दी है जिसमें से 56 पैक्स को इस संबंध में OMCs द्वारा कमिशन गया है।
9. **पैक्स द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की पात्रता:** सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हेतु आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इससे पैक्स को अपनी आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ाने और अपनी आय प्रवाह में विविधीकरण करने का एक विकल्प प्राप्त होगा। अब तक झारखंड राज्य से 2 पैक्स ने सीसी श्रेणी के तहत एलपीजी वितरक के लिए आवेदन किया है।

10. ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं तक सुगम पहुँच हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स: सरकार द्वारा पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है, जिससे उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे और ग्रामीण जनता को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं तक सुगम पहुँच सुनिश्चित होगी। अब तक, 4,523 पैक्स/सहकारी समितियों द्वारा PMBJK के रूप में कार्य करनेके लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिसमें से 2,744 पैक्स को फार्मशियूटिकल्स एंड मेडिकल डिवासेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा प्रारंभिक मंजूरी दी जा चुकी है और 785 पैक्स को राज्य औषधि नियंत्रकों से औषध लाइसेंस प्राप्त हो गए हैं और 716 PACS को PMBI से स्टोर कोड मिल गए हैं जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।

11. प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में पैक्स: देश में किसानों को उर्वरक और अन्य संबंधित सेवाएं की सुलभ पहुँच सुनिश्चित करने हेतु पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के लिए सक्षम किया जा चुका है। उर्वरक विभाग (भारत सरकार) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार 36,193 पैक्स PMKSK के रूप में कार्य कर रहे हैं।

12. पैक्स द्वारा ग्रामीण नल जलापूर्ति योजनाओं (PWS) का प्रचालन और रखरखाव (O&M) कार्य: पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में नल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन व रख-रखाव (O&M) करने के लिए पात्र बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचायत/ गांव के स्तर पर प्रचालन व रख-रखाव (O&M) सेवाएं प्रदान करने हेतु 934 पैक्स चिह्नित/ चयनित किए गए हैं।

13. पैक्स के स्तर पर PM-KUSUM का अभिसरण: पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टेक मॉड्यूल इंस्टॉल करा सकते हैं।

14. डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम: डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के बैंक मित्र बनाए जा सकते हैं। सुगम व्यवसाय, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम दिए जा रहे हैं। इस पहल के सफल कार्यान्वयन हेतु दिनांक 19 सितंबर, 2024 को मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) लॉन्च किया गया है। अब तक गुजरात में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 8,322 माइक्रो एटीएम वितरित किए गए हैं।

15. दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) की पहुँच के विस्तारण तथा डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक तरलता प्रदान करने और तुलनात्मक रूप से निम्नतर ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने तथा अन्य वित्तीय लेनदेनों में सक्षम करने हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) का वितरण किया जा रहा है। इस पहल के सफल कार्यान्वयन हेतु दिनांक 19 सितंबर, 2024 को मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) लॉन्च किया गया है। अब तक, गुजरात राज्य में 7,43,810 रुपे किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं।

16. मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPO) की स्थापना: मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु एनसीडीसी ने प्रारंभिक चरण में 70FFPOs का पंजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 280.65 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय से एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को FFPOs में रूपांतरित करने का कार्य सौंपा है। NCDC ने 997 प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों को चिह्नित कर लिया है।

17. श्वेत क्रांति 2.0: सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी नेतृत्व वाली "श्वेत क्रांति 2.0" नामक एक पहल लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य सहकारी संस्थाओं की पहुंच का विस्तार करना, रोजगार सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य अगले पांच वर्षों में अचूते क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाकर डेयरी सहकारी समितियों की दूध खरीद को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाना है। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए "मार्गदर्शिका" (SOP) 19.11.2024 को माननीय गृह और सहकारी मंत्री द्वारा माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की उपस्थिति में लॉन्च की गई थी। 25.12.2024 को माननीय गृह और सहकारी मंत्री ने माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री की उपस्थिति में 6,600 नए स्थापित सहकारी डेयरी सोसाइटियों (DCSs) का उद्घाटन किया। अब तक 27 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 8,294 सहकारी डेयरी सोसाइटियां (DCSs) पंजीकृत हो चुकी हैं।

18. आत्मनिर्भरता अभियान: सहकारिता मंत्रालय ने आयात निर्भरता घटाने के लिए दलहन (तुअर, मसूर और उड़द) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) एवं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) के माध्यम से इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्के के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की पहल शुरू की है। दोनों ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों के पंजीकरण के लिए क्रमशः e-samyukti और e-samridhi वेब पोर्टल का विकास किया है। दोनों द्वारा तुअर, उड़द, मसूर और मक्का के पूर्व-पंजीकृत किसानों के 100% उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की गारंटी दी गई है। तथापि, बाजार मूल्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने पर किसानों को उच्चतर लाभ हेतु अपने उपज को खुले बाजारों में बेचने की आजादी होगी। कुल 12,64,212 किसान NCCF के क्रमशः e-samyukti पोर्टल पर पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। इसी तरह 6,75,178 किसानों ने NAFED के e-samridhi पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है।

ख. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों का सशक्तिकरण

19. शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को व्यापार विस्तारण हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति: शहरी सहकारी बैंक (UCBs) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5) तक नई शाखाएँ खोल सकेंगे।

20. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब डोर-स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। इन बैंकों के खाताधारक अब अपने घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

- 21. सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का वन टाइम सेटलमेंट करने की अनुमति:** सहकारी बैंक अब बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से तकनीकी राइट-ऑफ करने के साथ-साथ उधारकर्ताओं के निपटान की कार्रवाई भी कर सकेंगे।
- 22. शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को प्राथमिक क्षेत्र उधार (PSL) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु दी गई समय-सीमा में वृद्धि:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को PSL लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दी गई समय-सीमा को दो वर्षों के लिए, अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
- 23. शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित:** सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद हेतु काफी समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया है।
- 24. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवासन ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक की गई:**
- शहरी सहकारी बैंकों के आवासन ऋण की सीमा को अब 30 लाख रुपये से दोगुना कर 60 लाखरुपये कर दिया गया है।
 - ग्रामीण सहकारी बैंकों के आवासन ऋण सीमा को ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है।
- 25. ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवासन क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी:** इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि आवासन सहकारी समितियां भी लाभान्वित होंगी।
- 26. सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया:** सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (AePS) में ऑनबोर्ड करने के लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से लिंक करके घटा दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थानों को भी उत्पादन-पूर्व चरण में यह सुविधा पहले तीन महीनों में निःशुल्क प्राप्त होगी। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक्स द्वारा घर बैठे ही बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।
- 27. ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (UCBs), राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को CGTMSE योजना में सदस्य ऋण संस्थान (MLI) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए जाने वाले ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल-मुक्त ऋण मिल सकेगा।
- 28. शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय सुदृढ़ और सुप्रबंधित' (FSWM) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बरकरार रखे हुए हैं, अब भारतीय

रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची ॥ में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं ।

29. स्वर्ण ऋण हेतु RBI द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा PSL लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है ।

30. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (UO) की स्थापना हेतु नैशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB) को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और प्रचालन सहायता प्राप्त हो सकेगी ।

(ग) **सहकारी समितियों को आयकर अधिनियम में राहत**

31. एककरोड़ से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है: इससे सहकारी समितियों पर आयकर का भार कम होगा और उनके पास अपने सदस्यों के हित के लिए कार्य करने हेतु अधिक पूंजी उपलब्ध होगा

32. सहकारी समितियों के न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया: इस उपबंध से अब सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच इस संबंध में समरूपता हो गई है ।

33. आयकर अधिनियमकी धारा 269ST के तहत नकद लेनदेन में राहत: आयकर अधिनियम की धारा 269ST के अधीन सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ किसी एक दिन में किए गए 2 लाख रुपए से कम के नकद लेनदेन को पृथक माना जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

34. नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती: सरकार ने निर्णय लिया है कि दिनांक 31.03.2024 तक विनिर्माण कार्य शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों से अधिभार के साथ 30% तक के पूर्व दर की तुलना में 15% का सपाट निम्नकर-दर लगाया जाएगा । इससे विनिर्माण के क्षेत्र में नई सहकारी समितियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा ।

35. प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDB) की नकद जमा राशि और नकद ऋण की सीमा में वृद्धि: सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (पैक्स) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDB) द्वारा नकद जमा और नकद ऋणों की सीमा को प्रति सदस्य 20,000 रुपए से बढ़ा कर 2,00,000 रुपए कर दी गई है । इस उपबंध से उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाएगा और उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी तथा इन समितियों के सदस्य लाभान्वित होंगे ।

36. सहकारी समितियों के लिए स्नोत पर कर कटौती (TDS) के बिना नकद निकासी की सीमा में वृद्धि: सरकार ने सहकारी समितियों के लिए स्नोत पर कर कटौती किए बिना नकद निकासी की सीमा

को 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों को स्रोत पर कर कटौती में राहत प्राप्त होगी जिससे उनकी चल निधि में वृद्धि होगी।

घ. सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

37. सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत: सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया है कि सहकारी चीनी मिलों को अप्रैल, 2016 से गन्ना किसानों को गन्ने के उच्चतर मूल्य का भुगतान करने पर उचित एवं लाभकारी मूल्य या राज्य सलाह मूल्य तक कोई अतिरिक्त कर नहीं देना पड़ेगा।

38. सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित समस्याओं का समाधान: सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया है कि सहकारी चीनी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी जिससे उन्हें 46,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राहत मिलेगी।

39. सहकारी चीनी मिलों के सशक्तिकरण हेतु 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना का शुभारंभ:: सरकार ने NCDC के माध्यम से एथनॉल संयंत्र या कोजेनरेशन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूँजी के लिए या फिर तीनों के लिए एक योजना आरंभ की है। अब तक, मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत एनसीडीसी को 875 करोड़ रुपए (वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 375 करोड़ रुपये) जारी किया है और अब तक, एनसीडीसी ने 44 सीएसएम को 9,169.76 करोड़ रुपये के 80 ऋण स्वीकृत किए हैं।

40. एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को प्राथमिकता: भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लॉडिंग कार्यक्रम (EBP) के अधीन एथनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को निजी कंपनियों के समरूप रखा गया है।

41. मौलासेस आधारित एथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीड एथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करके सहकारी चीनी मिलों को मजबूत करना: सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड (NFCSL) के साथ परामर्श करके सहकारी चीनी मिलों (CSMs) के मौजूदा मौलासेस आधारित एथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीड एथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिए एक पहल शुरू की है। सहकारी चीनी मिलें (CSMs) एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करके मौलासेस और शुगर सिरप से एथेनॉल का उत्पादन भी करती हैं। हालाँकि, इथेनॉल के उत्पादन के लिए कच्चे माल यानी मौलासेस और शुगर सिरप की उपलब्धता कई कारणों से सीमित है, जैसे, शुगर सिरप के डायवर्जन पर सरकारी नीति, इथेनॉल के उत्पादन के लिए बी हैवी मौलासेस और गन्ना पेराई सीजन एवं वर्षा पर आधारित गन्ने की उपलब्धता आदि। इन सीमित कारकों के कारण, एथेनॉल संयंत्र वालें CSMs पूरे वर्ष अपनी पूर्ण क्षमता से संचालन नहीं कर पाती हैं। भारत सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्का को प्राथमिकता दी है, इसलिए यह सहकारी चीनी मिलों के लिए उचित है कि वे अपने मौजूदा एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों को मल्टी-फीड एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों में बदलें ताकि वे मक्का को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके एथेनॉल का उत्पादन कर सकें।

42. शीरा (मोलासस) पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया: सरकार ने शीरा (मोलासस) पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है जिससे सहकारी चीनी मिलें डिस्टिलरियों को उच्चतर दरों पर शीरा की बिक्री करके अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे।

(ङ) तीन नई राष्ट्र-स्तरीय बहुराज्य सहकारी समितियां

43. प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी समिति: सरकार ने एकल ब्रांड नाम के तहत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए अंब्रेला संगठन के रूप में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की है। रबी सीज़न 2024-25 के दौरान, 5,596 हेक्टेयर में 12 फसलों की 57 किस्मों का रोपण किया गया। इसी प्रकार, खरीफ सीज़न 2024 के दौरान, 176.59 हेक्टेयर भूमि पर 8 फसलों की 23 किस्मों का रोपण किया गया। अब तक 17,425 पैक्स/सहकारी समितियां BBSSL की सदस्य बन चुकी हैं।

44. जैविक कृषि के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य ऑर्गेनिक सहकारी समिति: सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन एक अंब्रेला संगठन के रूप में प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य सहकारी समिति राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स समिति (NCOL) की स्थापना की है। अब तक 5,184 पैक्स/ सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) की सदस्य बन गई हैं। राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) द्वारा "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रांड के तहत अब तक 13 उत्पाद, अर्थात् चोकर युक्त आटा, मूंग धुली, मूंग साबूत, मूंग छिलका दाल, मूंग टूटा, अरहर/ तुअर दाल, उड़द साबूत, उड़द दाल, मसूर साबूत, मसूर मलका, भूरा चना, राजमा चित्रा, चना दाल लॉन्च किए जा चुके हैं।

45. निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नई राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति: सरकार ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अधीन सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंब्रेला एजेंसी के रूप में एक नई शीर्षस्थ बहुराज्य राष्ट्रीय सहकारी समिति की स्थापना की है जिसे राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) का नाम दिया गया है। अब तक लगभग 7,933 पैक्स/सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के सदस्य बन गई हैं। अब तक NCEL द्वारा 5,099.24 करोड़ रुपये के निर्यात मूल्य के साथ कुल 12,52,083 मीट्रिक टन सामग्री (चावल, चीनी, प्याज, गेहूं, मक्का और जीरा) का निर्यात किया गया है।

च. सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण

46. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता निर्माण को प्रोत्साहन: अपनी पहुंच को विस्तारित करते हुए राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) ने दिसंबर, 2024 तक 2,872 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया है और 2,35,060 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

छ. 'सुगम व्यवसाय' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग

47. केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण : बहुराज्य सहकारी समितियों को डिजिटल परितंत्र के निर्माण के लिए केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है जो समयबद्ध रीति से आवेदनों और सेवा अनुरोधों के प्रोसेसिंग में सहायक होगा।

48. राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की योजना:

सहकारी समितियों के लिए 'सुगम व्यवसाय' में वृद्धि तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पारदर्शी कागज-रहित विनियमन हेतु एक डिजिटल परितंत्र के सृजन के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास, इत्यादि के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। अब तक, 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है।

49. कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण: दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में फैले कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को अनुमोदित किया गया है। नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। अब तक 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 5.08 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

छ. अन्य पहले

50. प्रामाणिक और अद्यतित डेटा संग्रहण हेतु नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है, जो देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/ योजनाओं हेतु नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों के लिए सहायक होगा। इस डेटाबेस में अब तक, 30 क्षेत्रों की 8.2 लाख से अधिक सहकारी समितियों, जिनमें लगभग 30 करोड़ सदस्य हैं, का डेटा शामिल किया जा चुका है।

51. सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क: सरकार ने सहकारी समितियों को राज्य-वार और क्षेत्र-वार रैंक करने के लिए 24 जनवरी 2025 को सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया। रैंकिंग फ्रेमवर्क राज्य के RCS को प्रमुख मापदंडों जैसे ऑडिट अनुपालन, परिचालन गतिविधियों, वित्तीय प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे और बुनियादी पहचान की जानकारी, के आधार पर सहकारी समितियों के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है। NCD पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के RCS प्रारंभ में 7 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी सहकारी बैंक, आवास, क्रेडिट और थ्रिफ्ट और खादी और ग्राम उद्योग की सहकारी समितियों की रैंक उत्पन्न कर सकते हैं। इस रैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य सहकारी समितियों के बीच पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिससे अंततः उनके विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उद्देश्यों के अनुरूप, प्रत्येक क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को सहकारिता मंत्रालय और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा मान्यता और सम्मान दिया जाएगा।

52. भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष – 2025: संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (IYC 2025) घोषित किया है, जिससे आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और सतत विकास में सहकारी समितियों की भूमिका को दर्शाया जा सके। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी संघों, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के सहयोग से एक कार्य योजना तैयार की है, जो पारदर्शिता, नीतिगत सुधारों और ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण (पैक्स के माध्यम से) पर केंद्रित है। इस

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण, बोर्ड बैठकें, सहकारी धज फहराना, प्रदर्शनियां और व्यावसायिक विस्तार कार्यशालाएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति (NEC) और राष्ट्रीय सहकारी समिति (NCC) समन्वय और वित्तीय संसाधन जुटाने का कार्य करेगी। राज्य शीर्ष समिति (SAC) और राज्य व जिला सहकारी विकास समितियां (SCDC & DCDC) राज्य, जिला और ग्रामीण स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन एवं प्रबंधन करेंगी।

53. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023: बहुराज्य सहकारी समितियों में 97वें संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करने और शासन सशक्त करने, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है।

54. सहकारी ऑम्बुड्समैन: बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के पश्चात् सहकारी ऑम्बुड्समैन को उक्त अधिनियम की धारा 85क द्वारा दिनांक 05.03.2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया गया है। ऑम्बुड्समैन कार्यालय पूर्णरूपेण कार्यशील है और बहुराज्य सहकारी समितियों के सदस्यों की जमाराशियों, कार्यरत बहुराज्य सहकारी समितियों के न्यायोचित लाभ या संबंधित सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों या अपीलों पर कार्य करता है।

55. सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण (CEA): बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में संशोधन के पश्चात् सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को शासन सशक्तीकरण और उत्तरदायित्व के लिए स्थापित किया गया है जिसे सभी बहुराज्य सहकारी समितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने हेतु अधिदेश प्राप्त है। दिसंबर 2024 तक, 80 से अधिक बहुराज्य सहकारी समितियों में सफलतापूर्वक निर्वाचन कराए गए हैं।

56. GeM पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' शामिल करना: सरकार ने सहकारी समितियों को GeM पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान कर दी है जिससे वे किफायती खरीद एवं अधिक पारदर्शिता के साथ लगभग 67 लाख वेंडरों से माल और सेवाओं की खरीद कर सकेंगे। GeM पोर्टल पर 'क्रेता' के रूप में अब तक 574 सहकारी समितियां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं।

57. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की व्यापकता और पहुंच का विस्तारण: NCDC ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे स्वयं सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार', दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार'। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में NCDC द्वारा 84,673.70 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता का संवितरण किया गया है।

58. गहरे समुद्री ट्रॉलरों के लिए एनसीडीसी द्वारा वित्तीय सहायता: मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के समन्वय से NCDC द्वारा गहरे समुद्री ट्रॉलरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। NCDC द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में मात्स्यिकी सहकारी समितियों को 44 गहरे गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए 25.95 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की गई है।

59. राष्ट्रीय सहकारिता नीति (NCP) सहकारिता मंत्रालय की “सहकार से समृद्धि” के अधिदेश को पूरा करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने की परिकल्पना की गई है। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए सहकारी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को प्रकट करने की संरचना प्रदान करने हेतु दिनांक 02.09.2022 को श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु के अधीन सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) एवं सहकारी समितियों के पंजीयकों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों, इत्यादि के साथ एक राष्ट्र-स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए देश भर में चार क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित कीं। प्राप्त सुझावों को उपयुक्त रूप से प्रारूप नीति में शामिल कर लिया गया है। प्रारूप नीति तैयार कर ली गई है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

60. सहारा समूह की समितियों के निवेशकों को रिफंड: सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओं को पारदर्शी रीति से भुगतान करने हेतु एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। उनकी जमाराशि और दावों के साक्ष्य की प्रस्तुति एवं उचित पहचान के पश्चात् संवितरण का कार्य आरंभ हो चुका है। अब तक, 11.61 लाख आवेदकों को 2,025.75 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है।
